प्रेस विज्ञप्ति
25.09.2025

ईडी ने लोक्सम ऐप साइबर निवेश घोटाले पर शिकंजा कसा; पीएमएलए कोर्ट ने भूपेश अरोड़ा की जमानत खारिज की।

विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली ने 20/09/2025 के आदेश के तहत, लॉक्सम (LOXAM) ऐप के ज़रिए देश में हुए सबसे बड़े साइबर-सक्षम निवेश धोखाधड़ी में शामिल मुख्य आरोपी और भगोड़े आर्थिक अपराधी भूपेश अरोड़ा की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। कई वर्षों तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचे रहने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 11/07/2025 को भूपेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। वह अन्वेषणाधीन साइबर धोखाधड़ी की जाँच से बचने के लिए 2022 की शुरुआत में अपने साथियों के साथ दुबई भाग गया था और नेपाल सीमा के रास्ते भारत में गुप्त रूप से वापस आने पर उसे पकड़ लिया गया था।

ईडी ने मेसर्स शिनदाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, भूपेश अरोड़ा, रोहित विज और अन्य के खिलाफ ईसीआईआर संख्या ईसीआईआर/एचवाईजेडओ/46/2022 के तहत पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की है, जो पुलिस स्टेशन, साइबर अपराध, हैदराबाद द्वारा दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) संख्या 1352/2022 दिनांक 26/07/2022 के आधार पर शुरू की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ चीनी नागरिकों ने कुछ भारतीय नागरिकों के साथ मिलकर एक निवेश ऐप 'लॉक्सम' के माध्यम से विभिन्न व्यक्तिगत निवेशकों को इसे एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के हिस्से के रूप में गलत तरीके से पेश करके और निवेश पर अवास्तविक रिटर्न की पेशकश करके धोखा दिया है। इस ऐप के माध्यम से प्राप्त/एकत्रित निवेश को विभिन्न मुद्रा परिवर्तकों (एक्सचेंजर) के माध्यम से विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करके देश के बाहर भेज दिया गया।

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत एक अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें लोक्सम ऐप, जो एक प्रतिष्ठित फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी से संबंधित होने के झूठे दावे करता है, को एक धोखाधड़ी वाले निवेश प्लेटफ़ॉर्म के रूप में उजागर किया गया है। हज़ारों बेखबर निवेशकों को अत्यधिक रिटर्न के वादों से लुभाया गया, ताकि उनके पैसे की फर्जी संस्थाओं, आभासी खातों और भुगतान गेटवे के एक जटिल जाल के ज़रिए हेराफेरी की जाए।

जाँच के दौरान, पाँच परिसरों में तलाशी ली गई, जहाँ विभिन्न डिजिटल उपकरणों के साथ-साथ 2.01 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियाँ भी ज़ब्त की गईं। 500 से ज़्यादा बैंक खातों का विश्लेषण किया गया, जिससे पता चला कि 311 करोड़ रुपये से ज़्यादा की आपराध की आय (पीओसी) रंजन मनीकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और केडीएस फ़ॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों में जमा होने से पहले, ज़िंदाई टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी संस्थाओं के ज़रिए चैनल (हस्तांतरित) की गई। इन अवैध निधियों को आगे विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किया गया और हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से विदेश विप्रेषित (रेमिट) किया गया। जांच में लगभग 903 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा लेनदेन का भी पता चला है, जो समान आईपी एड्रैस और पेमेंट गेटवे से समन्वित भुगतान तंत्र के साथ काम करने वाली फर्जी संस्थाओं के माध्यम से किया गया था- ये पैटर्न साइबर-सक्षम धन शोधन पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा चिह्नित प्रकारों के अनुरूप हैं।

भूपेश अरोड़ा अवैध धन शोधन की साजिश रचने में एक अहम साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों सहित साक्ष्य, मनी चेंजर्स और अन्य बिचौलियों के साथ मिलीभगत करके नकदी निकासी, विदेशी मुद्रा विनिमय और धन की सीमा पार आवाजाही की व्यवस्था करने में उसकी भूमिका की पुष्टि करते हैं।

लॉक्सम ऐप घोटाला दर्शाता है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह अवैध धन के निवेश, स्तरीकरण और एकीकरण के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, वर्चुअल खातों और भुगतान मध्यस्थों का दुरुपयोग करते हैं। यह मामला ऐसे अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क को ध्वस्त करने और साइबर-सक्षम धन शोधन के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के ईडी के निरंतर संकल्प को रेखांकित करता है।

****